(75)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी भागीरथ राम, आर०ए०एस०

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1.लादाराम वगै पुत्र जोराराव अन्य 2.ओटाराम वगै पुत्र ओटाराम 3.मानाराम पुत्र दलाजी 4.कस्तुराराम वगैरा पुत्र मूलाराम जातियान कुम्हार निवासी जोयला तहसील शिवगंज		1.वालाराम वगै पि. पनीया जाति मेघवाल 2 महेन्द्र वगैरा पि. खीमाराम जाति सरगडा निवासी जोयला तहसील शिवगंज।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

मु.स0 99/2019
दिनांक 22.10.2020

उपरोक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की कृषि आराजी मौजा जोयला तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 402, 403, 411, 412,व 412 रकबा कमशः 6–04, 18–09, 6–04, 11–14, 16–00 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजी मे धारण करते करते हुए तथा काष्त एंव अन्यकार्यसे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है हम सहखातेदार अपनी खातेदारी मे आने जाने तथा मवेशियो, टैक्टर बेलगाडी व वाहने आदि के आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिससे हम आज दिन तक खसरा नम्बर 398 व 399 कुल रकबा 9.12 बीघा एंव खसरा नम्बर 397 रकबा 1.15 बीघा के बीच वाली लोर के लगते रास्ता से आते जाते थे जो वर्तमान मे अप्रार्थीगण खातेदारो द्वारा बन्द कर दिया है जिसमे से हम रास्ता चाहते है ताकि हम हमारी खातेदारी भूमि मे आ जा सके प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा लाल स्याही से ए से बी अकिंत रास्ता से आते जाते थे का प्रस्तुत किया है जिसमे से अकितानुसार अप्रार्थीण की लोर से लगता 20 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 403 तक लम्बा कदमी से है जो प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से सैकडो वर्षो से प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु आवागमन के उपयोग मे आता रहा है। अप्रार्थीगण ने बंदनियती से अपनी खातेदारी मे से रास्ता बन्द कर दिया है तथा झगडा एंव झुठे मुकद्दमो मे फसाने की धमकीया दे रहे है इस कारण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी मे जाने व खेती करने तथा मवेशियो को ले जाने मे मुश्किल हो गई जिससे अप्राथीगण की खातेदारी भूमि मे से प्रार्थीगण की पहुँच खातेदारी भूमि तक लम्बे 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाने का आदेश पारित किया जाने हेतु निवेदन किया है।

प्राथीगण की और से पेश प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रथम द्रष्टया मामला बनने से दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये तथा दिनाक 18.7.2019 को तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट पेश करने हेतु पत्र जारी किया। अप्राथीगण को नोटिस तामील हेाकर प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया। अप्राथीगण उपस्थित व अप्रार्थीगण दो मुकेश कुमार व महेन्द्र कुमार की और से जितेन्द्रसिह ने अण्डर टेकिग ली गई । तहसीलदार शिवगंज के पंत्राक 1826 दिनाक 9.8.2019 से प्राथीगण को खातेदारी भूमि तक पहुच मार्ग भूमि की मौका जॉच रिपोर्ट संलग्न मौका फर्द मय नजरी नक्शा के दिनाक 13.8.2019 को इस आशय से कि प्रस्तावति रास्ता 4 मीटर चौडाई व 22 मीटर लम्बा है जिसका क्षेत्रफल 88 वर्गमीटर बनता है जो निकटतम सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 390 से जुडता तथा लघुतम दुरी का है प्राप्त हुई तथा मौका फर्द मे नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित सी से डी के बीच रास्ता उसी स्थान पर विघमान है जहॉ प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग की गई है एंव बिन्दु ई पर काटें डालकर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता रोका गया है एंवम बन्दु संख्या सी से ई के मध्य तहसीलदार की मौका फर्द मे खसरा नम्बर 397 है। तहसीलदार शिवगंज के द्वारा प्रेषित पंत्राक 1775 दिनाक 7.8.2019 न्यायालय को दिनाक 16.8.2019 को प्राप्त हुआ जिसके अनुसार ग्राम जोयला का खसरा नम्बर 397/2 (मूल खसरा नम्बर 397 के विभाजन के पश्चात) रकबा 0.17 बीघा महेन्द्र कुमार पुत्र खीमाराम के नाम दर्ज है उक्त खसरा नम्बर 397/2 की माठ से एक कदमी रास्ता चल रहा है जिसे खातेदार द्वारा बन्द कर [illegible] है। दिनाक 22.8.2019 को अप्रार्थीगण संख्या दो के पिता का देहान्त हो जाने से दिनाक 4.9.2019 तक [illegible] राजेन्द्रपुरी ने वकालातनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब [illegible] प्रार्थना पत्र मे चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार माना है एंवम अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फहरिस्त [illegible] दस्तावेज मे सलग्न नक्शा [illegible] प्रदर्शित बिन्दु संख्या सी से डी से प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन करना बताया [illegible] प्रार्थीगण द्वारा जुवाबुल जवाब के अनुसार अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया है [illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 397/2 की माठ (लोर) की तरफ से 10–15 फीट भूमि से लगता हुआ रास्ता निकलता एंवम उसके आगे खसरा नम्बर 397/1 मे से कोई रास्ता नही निकलता है जिसे सलग्न नक्शे मे बिन्दु संख्या ए से बी दर्शाया गया है। ....

शेष पेज संख्या–2 पर

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:01:27 IST
Reason: SelfAttested

मु.रा0 99/2019 अ.धा 251(क)
लादाराम व अन्य बनाम वालाराम व अन्य

पेज संख्या–2

......पटवारी व भू. अभिलेख निरीक्षण द्वारा मौके की पैमाईस दिनाक 21.1.2020 को की गई जो पेश जो शामिल पत्रावली की गई। दिनाक 12.2.2020 को तहसीलदार शिवगंज को तहरीर जारी कर खसरा नम्बर 397 से अप्रार्थीगण द्वारा चाही गई रास्ता भूमि की लम्बाई व चौडाई–कुल रकबा तथा शेष भूमि एंव खसरा नम्बर 404 मे टुटती लकीर (डोटेड लाईन) का प्रकार सम्बधी रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार शिवगंज के पंत्राक 906 दिनाक 15.6.2020 को प्राप्त हुई जिसमे खसरा नम्बर 397 की भूमि मे से अप्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता की लम्बाई 105 फीट व चौडाई 12 फीट कुल क्षैत्रफल रकबा 0–11–09 बीघा बनता है तथा शेष रकबा 0–15–11 बीघा शेष बचता है। खसरा नम्बर 404 मे डोटेड लाईन दशाई गई जिसकी लम्बाई 448 फीट व 370 फीट होती है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दिनाक 26.8.2020 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते तहसीलदार शिवगंज की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता भूमि को वित विभाग के परिपत्र दिनाक 27.5.2019 के अनुसार 500 वर्गमीटर से कम भूमि होने की स्थिति मे आवासीय डी.एल.सी दर रू. 1899 प्रति मीटर निर्धारित की गई है उक्त दर की दुगनी राशि 3788 प्रति वर्गमीटर की दर अनुसार 88 वर्ग मीटर भूमि की किमत रू0 3,24,234/ रूपये बनती है यदि न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को रास्ता देना उचित समझते है तो रास्ता भूमि के खातेदार को उक्त राशि दिलवाई जाकर निर्णय पारित करना फरमावे नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दी गई तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनाक 7.9.2020 को जवाब पेश किया तथा बताया की उक्त परिपत्र 500 व. मी कृषि भूमि का पंजीयन किया आवासीय डी.एल सी दर लगेगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे रास्ता भूमि हेतु डी.एल.सी दर की दुगना राशि का भुगतान करना होगा ना की आवासीय दर वसूल जाएगी उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस को सुनी जाकर प्रार्थना पत्र व वित विभाग के परिपत्र का अवलोकन तथा बहस पर मनन करने वित विभाग का परिपत्र कृषि भूमि दस्तावेज के पंजीयन से सम्बधित है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) मे प्रभावी नही होने से प्रार्थना पत्र दिनाक 26.8.2020 को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मूल प्रार्थना पत्र पर बहस को सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया एंव प्रस्तुत बहन/कथन पर मनन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण को स्वीकार किया जाता है

अतः मौजा जोयला पटवार हल्का जोयला तहसील शिवगंज में स्थित प्रार्थी की कृषि आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 402 ,403, 411, 412 व 413 मे जाने हेतु सलग्न नक्शा मे चिन्हित लाल स्याही से दर्शित डाटेट **ए से बी** अनुसार चौडाई 4 मीटर एंव 22 मीटर कुल क्षैत्रफल 88 वर्गमीटर रास्ता भूमि का मौके पर पैमाईश करवा कर अप्रार्थी महेन्द्र कुमार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 397/2 के रकबा मे से रास्ता भूमि रकबा राजस्व रेकर्ड मे कम कर गैर मुमकिन बिलानाम रास्ता भूमि हेतु स्वीकृत की जाती है। उक्त स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1)के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में ,राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 की उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरो का दुगुना : गणना राशि निम्नानुसार है।

प्रस्तावित रास्ता भूमि की किमत D.L.C-दर रू. 4,39200/– प्रति हैक्टर से 43,920 प्रति वर्गमीटर से भूमि का क्षैत्रफल 88 व0मी **x** 43.920 = रु 3864.96 जिसकी दुगना राशि = रू. 7729.92 अर्थात 7730/– रूपये (रू सात हजार सात सौ तीस मात्र) जो प्रार्थीगण से वसूली योग्य है।

अतः अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार की मौजा जोयला की आराजी खसरा नम्बर 397/2 के रकबा में से मार्फत तहसीलदार शिवगंज सलग्न नक्शा मे प्रदर्शित बिन्दु ए से बी तक रास्ता भूमि की अवधारित राशि रूपये 7730/– प्रार्थीगण से वसूली जाकर अप्रार्थी महेन्द्र कुमार को भुगतान करे यदि उक्त राशि अप्रार्थी महेन्द्र कुमार लेने से इन्कार करे तो तहसीलदार राजकोष मे जमा करे तथा अप्रार्थी उक्त राशि को जब भी लेना चाहे तक भुगतान किया जावे। तहसीलदार शिवगंज को अप्रार्थी की खातेदारी मे से रास्ता भूमि का रकबा को कम कर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नजरी नक्शा में किस्म गैर मुमकिन रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:31:27 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/रीडर/536 दि. 22.10.20

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज

प्रतिलिपिः– तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज
सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)